# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 140/2023

अनवान : –

1. निराणी पत्नी श्री दलीप कुमार
2. बलवान पुत्र श्री दलीप चन्द उर्फ दलीप कुमार

अकवाम जाट निवासीगण मसीतावाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (राज0)
प्रार्थीगण

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र श्री लालचन्द
2. कलवन्त पुत्र श्री राजेन्द्र
3. इन्द्रपाल पुत्र श्री साहबराम
4. पवन कुमार पुत्र श्री साहबराम
5. साहबराम पुत्र श्री लालचन्द

अकवाम जाट निवासीगण मसीतावाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (राज0

6. तहसीलदार (राजस्व), टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (राज0)

अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट**

उपस्थिति :–श्री विकास रणवा प्रार्थीगण
श्री महावीर वर्मा अप्रार्थीगण

**निर्णय** दिनांक: 18/2/24

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम चक नम्बर 3 एन. डी. आर के खाता सं0 56/19 मे कुल 2.569 है0 कृषि भूमि व अप्रार्थी सं० 1 व 2 के नाम से चक नं0 3 एन. डी. आर के खाता सं0 46/9 में कुल 2.567 है0 कृषि भूमि एंव अप्रार्थी सं0 3 ता 5 के नाम से चकनं0 3 एनडीआर के खाता सं0 57/46 में कुल 2.567 है0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दीयां संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 3 एनडीआर में स्थित है। प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए अप्रार्थी सं0 1 ता 5 की कृषि भूमि में से अस्थाई रास्ते का उपयोग कर रहे है जो कि मौका पर चालू है किन्तु जमान्दी में स्वीकृतशुदा नही है । प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि मे से आने जाने के लिए उक्त रास्तें का उपयोग कर रहे है, वह रास्ता अप्रार्थी सं0 1 व 2 के नाम चक 3 एनडीआर के खाता सं0 46/9 के प0न0 200 / 329 मु0 25 किलानं0 14, 15 के उतरी दिशा की तरफ से होकर व अप्रार्थी सं0 3 ता 5 की कृषि भूमि चक 3 एनडीआर के खाता सं0 57/46 के प0न0 200 / 329 मु0 25 किलानं0 13 के पूर्वी उतरी कोने में होते हुए किलानं0 8 में दक्षिण से उतर होते हुए अपनी भूमि में प्रवेश करते है इसके अलावा प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है । इसलिए प्रार्थीगण चक नं0

सहायक कलेक्टर

3 एनडीआर के प0न0 200/329 मु0 25 किलानं0 14, 15 में पूर्व से पश्चिम उतरी दिशा की तरफ प्रत्येक किला में 0.013 है० चौड़ा रास्ता एवंम अप्रार्थीगण सं0 3 ता 5 की कृषि भूमि चक नं0 3 एनडीआर के खाता सं0 57 / 46 के प०न० 200/329 मु0 25 किलानं0 13 में .002 है0 पूर्वी उतरी कॉर्नर व किला नं0 8 में 1.013 है0 चौड़ा रास्ता दक्षिण से उतर पूर्वी दिशा की ओर रास्ता स्वीकृत करवाकर श्राजस्व रिकार्ड में गै०मु० रास्ते का अंकन करवाना चाहते है । प्रार्थीगण गत साप्ताह अप्रार्थीगण सं० 1 ता 5 को निवेदन किया प्रार्थना पत्र की दफा 3 में दर्ज रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवा देवे तो अप्रार्थीगण ने ऐसा मानने से इन्कार कर दिया। बस यही वाद कारण है । प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृति का है व अप्रार्थी सं0 6 भू–धारक है जो प्रकरण में अहम पक्षकार है इसलिए फरीक मुकदमा बनाया गया है, ताकि प्रार्थना पत्र में कोई खामी ना रहे। उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है जो उचित न्यायशुल्क पर वाद कारण से अन्दर मियाद प्रस्तुत है । लिहाजा संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे–

क. कि चक नम्बर 3 एनडीआर के प0न0 200 / 329 मु0 25 किलानं0 14, 15 में पूर्व से पश्चिम उतरी दिशा की तरफ प्रत्येक किला में 0.013 है० चौड़ा रास्ता एंवम् अप्रार्थीगण सं0 3 ता 5 की कृषि भूमि चक नं0 3 एनडीआर के खाता सं0 57/46 के प0न0 200/329 मु0 25 किलानं0 13 में .002 है० पूर्वी उतरी कॉर्नर व किला नं0 8 में .013 है० चौड़ा रास्ता दक्षिण से उतर पूर्वी दिशा में स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में गैर प्रार्थना पत्र पेष होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया प्रार्थना पत्र की दफा 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 में प्रार्थीगण व हम अप्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में आराजी दर्ज होना स्वीकार है । प्रार्थना पत्र की दफा 3 में दर्ज तथ्य कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 3 एनडीआर में स्थित है तथा प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए अप्रार्थीगण सं० 1 ता 5 की कृषि भूमि में से अस्थाई रास्ते का उपयोग कर रहे है, स्वीकार है, अन्य तथ्य अस्वीकार है। हम पक्षकारों के मध्य उपरोक्त अनवानित प्रकरण रास्ता स्वीकृति बाबत माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें हमारा अप्रार्थीगण के साथ राजीनामा हो गया है। मुताबिक समझौता अप्रार्थीगण की भूमि प०न० 200/329 के. मु0 25 के किलानं0 8/.013 है० पूर्वी सीमा पर उतर से दक्षिण किलानं0 13/0.001 है० उतरी–पूर्वी कॉर्नर, किलानं0 14/0.013 है0, किलानं0 15/0. 013 है0 उतरी सीमा में पूर्व से पश्चिम पक्षकारों को अपनी आराजी में आवागमन के लिए दिया गया है तथा उपरोक्त रास्ता के बदले में प्रार्थीगण निराणी व बलवान द्वारा अपनी खातेदारी भूमि मे रो प0न0 199/326 के मु0 26 के किलानं0 7/1/ 0.007 है० दक्षिण दिशा में व किलानं0 8/1/0.006 है० दक्षिण दिशा की भूमि अप्रार्थीगण कुलवन्त पुत्र राजेन्द्र को 1/2 हिस्सा व राजेन्द्र पुत्र लालचन्द

को 1/2 हिस्सा बदले में दी गई है। उपरोक्त अनुसार रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गै०मु० रास्ता का अंकन किया जाता है तथा रास्ता की भूमि अप्रार्थीगण कुलवन्त व राजेन्द्र के नाम से अंकित कर हम प्रार्थीगण के खाता से कम की जाती है तो हम प्रार्थीगण को कोई उज्र व एतराज नही है। हम पक्षकारान इससे पूर्णतया सहमत है। प्रार्थना पत्र की दफा 4 लाइल्मी दर्ज की गई है। साहबराम प्रार्थना पत्र की दफा 5 कानूनी है। प्रार्थना पत्र की दफा 6 कानूनी है लिहाजा जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मुताबिक जबाब प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प०न० 200/329 के मु0 25 के किलानं0 8/013 है० पूर्वी सीमा पर उतर से दक्षिण किलानं0 13/0.001 है० उतरी–पूर्वी कॉर्नर, किलानं0 14/0.013 है0, किलानं0 15/0. 013 है0 उतरी सीमा में पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गै०मु० रास्ता का अंकन कर, रास्ता की भूमि के बदले में निराणी व बलवान द्वारा अपनी खातेदारी भूमि मे से प0न0 199/326 के मु0 26 के. किलानं0 7/1/0007 है0 दक्षिण दिशा में व किलानं0 8/1/0.006 है० दक्षिण दिशा की भूमि अप्रार्थीगण कुलवन्त पुत्र राजेन्द्र को 1/2 हिस्सा व राजेन्द्र पुत्र लालचन्द को 1/2 हिस्सा की भूमि उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन की जाती है तो हम अप्रार्थीगण को कोई उज्र व एतराज नही है। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गयी रिपोर्ट शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी, बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया, हस्तगत प्रकरण में राजीनामा/सहमति का जवाब पेश होने के करण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट मुताबिक सहमति स्वीकार किया जाता है कि प०न० 200/329 के मु0 25 के किलानं0 8/.013 है० पूर्वी सीमा पर उतर से दक्षिण किलानं0 13/0.002 है० उतरी–पूर्वी कॉर्नर, किलानं0 14/0.013 है0, किलानं0 15/0. 013 है0 उतरी सीमा में पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत किया जाता है रास्ता की भूमि के बदले प0न0 199/326 के मु0 26 के. किलानं0 7/1/0.007 है0 दक्षिण दिशा में व किलानं0 8/1/0.006 है० दक्षिण दिशा की भूमि अप्रार्थीगण कुलवन्त पुत्र राजेन्द्र को 1/2 हिस्सा व राजेन्द्र पुत्र लालचन्द को 1/2 हिस्सा की भूमि उनके नाम से दर्ज किया जावे व प्रार्थीगण का हिस्सा कम किया जावे। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन न हो तो वे उक्तानुसार स्वीकृत किये गये रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 18/2/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़